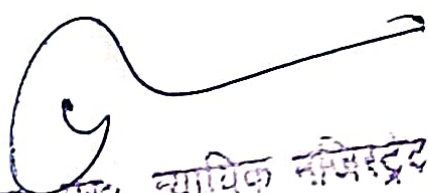


न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद, कोटा (राजस्थान)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम रईस वगैरह फौजदारी प्रकरण (सीआईएस) संख्या- 2467/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-10-2025	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण रईस, नाथी बाई व शहनाज अनुपस्थित, जिनकी ओर से उनके अधिवक्ता श्री विजय कुमार सक्सैना ने हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया। साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यू. 7 चतुर्भुज व पी.डब्ल्यू. 8 जगवीर सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये। अन्य गवाह की तामील अदम लौटी है। यह प्रकरण इस न्यायालय के लक्षित प्रकरणों की सूची में सूचीबद्ध है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह सं. 11 चन्दारानी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। तथा अन्य गवाह सं. 5 राजेन्द, गवाह सं. 12 भैरूलाल, गवाह सं. 13 राजकमल, गवाह सं. 14 अब्दुल वहीद, गवाह सं. 15 डॉ. प्रभाकर विजय व गवाह सं. 17 दिनेश कुमार को जमानतीय वारण्ट तादादी राशि दो हजार रुपये से तलब कर हर सूरत में तामील कराने व जरिये वीसी बयान दे सकने बाबत नोट लगाया जावे। फौजदारी लिपिक आज ही तामील जारी करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में दिनांक 14.10.2025 को पेश हो।  अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद, कोटा (राजस्थान)	